स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य

बनाम

एस. विजया कुमार व अन्य

18 जुलाई, 1990

[एल. एम. शर्मा और एन. एम. कासलीवाल, जे. जे.]

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955/भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियम। 1975 / भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम 1955 - धारा 43,49,50 (1)/विनियम 55 (2) (ए)-बर्खास्तगी का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिये है।

कानून का एक सामान्य प्रश्न, क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश, बैंक के नियुक्ति प्राधिकरण से कम प्राधिकरण द्वारा वैध रूप से पारित किया जा सकता है, इन तीन अपीलों में निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है, दो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा और तीसरा एक कर्मचारी द्वारा।

1990 के सिविल अपील 3392 में प्रतिवादी, विजया कुमार को कार्यपालिका के एक आदेश द्वारा परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप मेंभारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति द्वारा नियुक्त किया गया था। उनके

खिलाफ घोर अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था और बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित एक आदेश द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ पारित बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की एकल खंड पीठ ने 1986 की रिट अपील संख्या 141 (इसी तरह के एक बिंदु को शामिल करते हुए) के साथ रिट याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। स्टेट बैंक द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद यह अपील दायर की गई है।

1990 की सिविल अपील संख्या 3393 में प्रतिवादी टी. दयाकर राव को अक्टूबर, 1962 में स्टेट बैंक में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। बैंक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुये थे, उन पर दिनांक 1.9.1979 से 14.6.80 की अवधि के दौरान की गई अनियमितताओं के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। अनुशानात्मक प्राधिकारी होते हुये मुख्य महाप्रबंधक ने उसे बर्खास्त कर दिया। श्री राव ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने 1986 की रिट अपील संख्या 141 में अपने फैसले के बाद रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर स्टेट बैंक ने अदालत की विशेष अनुमति के साथ तत्काल अपील दायर की है।

1990 की सिविल अपील संख्या 3394 एक कर्मचारी ए.के. सुंदरराजन, जिसे बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, के द्वारा दायर की गई। नियुक्ति आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि श्री सुंदरराजन भारतीय स्टेट बैंक (अधिकारी और सहायक) सेवा नियमों द्वारा शासित होंगे। श्री सुंदरराजन पर मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित आदेशों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। बैंक ने डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की। इस मामले में डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू किए गए विनियम 55 से प्रस्ताव दिनांकित 25.8.1988 में किए गए संशोधन को ध्यान में रखा गया। तदनुसार खंड पीठ ने इस आदेश के खिलाफ बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर श्री सुंदरराजन द्वारा विशेष अनुमति प्राप्त कर सिविल अपील 3394 दायर की गई।

कर्मचारियों द्वारा आग्रह कर यह तर्क दिया गया कि मुख्य महा प्रबंधक, कार्यकारी समिति की तुलना में निचला प्राधिकारी होने के कारण, उनके पास बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की कोई क्षमता नहीं थी, जबकि बैंक द्वारा यह तर्क दिया गया कि मुख्य महाप्रबंधक, पूर्वव्यापी रूप

से किए गए विनियमन 55 (2) (ए) में संशोधन के आधार पर, कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार बन गया था। और इस तरह के आदेश उनके द्वारा कर्मचारियों के विरूद्ध बर्खारस्तगी के आदेश संशोधन के लंबे समय पश्चात पारित करने के कारण वैध है।

स्टेट बैंक द्वारा की गई अपील की अनुमति देते हुये और दोनों को मामलों को उच्च न्यायालय को रिमाण्ड करते हुये यह निर्देश दिये गये कि सुंदरराजन की अपील को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

इस न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादीत किया गया कि स्थिति की पहचान सार्वजनिक कानून द्वारा लगाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध से है, न कि केवल पक्षकारों द्वारा समझौते से। सरकारी कर्मचारी का वेतन और उसकी सेवा की शर्तें क़ानून या वैधानिक नियम द्वारा शासित होती हैं जिन्हें कर्मचारी की सहमति के बिना सरकार द्वारा एकतरफा रूप से बदला जा सकता है।[411एफ-जी]

संविधान के अनुच्छेद 311 (1) के तहत, उपयोग किए गए शब्द हैं -"जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था", विनियम 55 (2) (ए) में ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था। और इसके स्थान पर एकमात्र आश्वासन यह है कि कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकरी से निचले किसी प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाएगा।[410ए]

इस प्रकार अधिकार का आश्वासन यह है कि स्टेट बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को उसके नियुक्ति अधिकारी से निचले अधिकारी द्वारा बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। [410 बी]

राज्य के कर्मचारियों को जो भी अधिकार दिए गए हैं वह बैंक विनियमन 55 (2) (ए) के आधार पर दिये गये थे। और बैंक के केंद्रीय बोर्ड को किसी भी तारीख से ऐसे विनियमों में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था। अधिनियम की धारा 50 (2) (ए) के तहत यह प्रावधान हर प्रकार से इस विवाद को समाप्त करता है यदि कोई विवाद हो और स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि नियुक्ति प्राधिकरण के अर्थ में वह प्राधिकारी शामिल होगा जिसे उस समय नामित किया गया है जब ऐसा आदेश पारित किया गया था। (412 बी; 410 एच]

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य।, [1974] 1 एस. सी. आर. 771 बिशुन नारायण मिश्रा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1965 खंड। 52 एस. सी. 1567; रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. और कुंज बिहारी बनाम। भारत संघ और अन्य।, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. (खंड। 54) 1889, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 3392-3394/1990

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 30.11.1989 में डब्ल्यू. ए. सं. 269/89, दिनांकित 30.08.1988 में डब्ल्यू. पी. सं. 12041/84 और 1983 के डब्ल्यू. पी. सं. 194 में दिनांकित 26.11.1987 से।

पी. के. गोस्वामी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एम. के. राममूर्ति, सी. सीतारामैया, एम. एल. पॉल, कैलाश वासदेव, सुश्री एम. एम. रासेली, एम. ए. कृष्णमूर्ति, श्रीमती सी. राममूर्ति, T.V.S.N चारी, श्रीमती बी. सुनीता राव और सुश्री मजुला गुप्ता पक्षकारों की अेार से।

न्यायालय का निर्णय **जे. कासलिवाल** द्वारा विशेष अनुमति प्रदान करते हुये पारित किया गया।

उपरोक्त सभी मामलों का निपटारा एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इन सभी मामलों में कानून के समान प्रश्न शामिल हैं। विवाद को समझने के लिए, इन सभी मामलों के तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार हैः-

1988 की एस. एल. पी. सं. 4176

प्रत्यर्थी विजया कुमार को परिवीक्षाधीन अधिकारी (ग्रेड. । अधिकारी री)के रूप में अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति के एक आदेश द्वारा 7.12.71 को नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी पर घोर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। अंततः बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित आदेश

दिनांकित 22.12.1988 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्री विजया कुमार ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 194/83 दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने रिट याचिका संख्या 141/86 के साथ रिट याचिका पर सुनवाई की और रिट याचिका को अनुमति दी, लेकिन दिनांक 26.11.87 के आदेश द्वारा रिट अपील को खारिज कर दिया। रिट याचिका संख्या 194/83 में पारित उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर स्टेट बैंक ने यह विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर अनुमति दी है कि विजया कुमार की नियुक्ति का अधिकार बैंक की कार्यकारी समिति का था और इस तरह मुख्य महाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकरण से निचला अधिकारी होने के कारण बर्खास्तगी का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था।

1988 की एस. एल. पी. सं. 15235:

इस मामले में प्रतिवादी टी. दयाकर राव को भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क के रूप में अक्टूम्बर 1962 को नियुक्त किया गया था। जुलाई, 1971 के महीने में उन्हें प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में चुना गया और उन्हें दो साल के लिए बैंक की विभिन्न शाखाओं में नौकरी का प्रशिक्षण दिया गया। जब वह एक बैंक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे, तब उन पर 1.9.79 से 15.6.80 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए अनियमित कार्यों के

लिए आरोप पत्र दायर किया गया। 29.7.82 को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। 6.3.84 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बर्खास्तगी का आदेश पारित किया। टी. दयाकर राव ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 1204/84 दायर की। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 13 अगस्त, 1988 के एक आदेश द्वारा रिट अपील संख्या 141/86 दिनांकित 26.11.87 में दिए गए खण्ड पीठ के फैसले के बाद रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर बैंक ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

1990 का एसएलपी सं. 2069:

इस मामले में अपीलार्थी श्री ए. के. सुंदरराजन को कार्यकारी आयोग के आदेश दिनाकित 19-06-1968 द्वारा तकनिकी अधिकारी के पद पर बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति द्वारा नियुक्त किया गया था। आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि श्री सुंदरराजन भारतीय स्टेट बैंक (अधिकारी और सहायक)सेवा नियम द्वारा शासित होंगे व तकनीकी अधिकारी के पद नियमों के तहत कर्मचारी अधिकारी ग्रेड III के समकक्ष माना जाता जायेगा। उन्हे निलंबित कर दिया गया और दिनांक 23.4.82 को उन्हे आरोप पत्र दिया गया और मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3.83 द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। श्री.सुंदरराजन ने उच्च न्यायालय में

उनकी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका संख्या 7108/85 दायर की। माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 31.10.88 के आदेश द्वारा टी. दयाकर राव के मामले में रिट याचिका संख्या 1204/84 में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करते हुए रिट याचिका की अनुमति दी। एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर स्टेट बैंक ने खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की। इस मामले में खंड पीठ ने विनियमन 55 के प्रस्ताव दिनांक 25-08-88 को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागु करते हुये किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पारित किया। डिवीजन बेंच के आदेश दिनांक 30 नवंबर, 1989 से बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। श्री ए. के. सुंदरराजन ने उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर यह विशेष अनुमति याचिका दायर की।

यहां एस. एल. पी. (सी) संख्या 5139/88 (भारतीय स्टेट बैंक बनाम. हनुमंत राव) के तथ्यों को उल्लेख करना आवश्यक है जिसका निपटारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1990 से किया गया है।

हनुमंत राव को ग्रेड । अधिकारी के रूप में दिनांक 01-04-1973 को भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा पदोन्नत किया गया। 1979 में उन्हें वारंगल जिले में बैंक की एक शाखा के प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था। धोखाधड़ी/दुर्व्यवहार के कुछ कथित कृत्यों के

संबंध में उन्हें 17.8.81 को निलंबित कर दिया गया था। दिनांक 4.5.82 को बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा हनुमंत राव को आरोपों का एक ज्ञापन दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, स्थानीय मुख्य कार्यालय हैदराबाद ने हनुमंत राव को आदेश दिनांकित 7.1.84 द्वारा बर्खास्त कर दिया। हनुमंत राव ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 5509/84 दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बर्खास्तगी के आदेश को असक्षम और अमान्य घोषित करते हुए रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। लर्नड सिंगल जज के आदेश से व्यथित बैंक ने डिवीजन बेंच के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 141/86 दायर की। डिवीजन बेंच ने एक सामान्य आदेश द्वारा रिट अपील संख्या 141/86 और रिट याचिका संख्या 194/83 को सुना और इसका निपटारा किया। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की कि मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित बर्खास्तगी का आदेश असक्षम और अमान्य है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक के सामान्य विनियम 1955 के विनियम 55 (2) (ए) के परंतुक में निहित गारंटी का उल्लंघन करता है।

श्री हनुमंत राव द्वारा दायर क्रॉस आपत्तियों पर विचार करते हुए पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि रिट याचिकाकर्ता की मृत्यु 24.11.87 को हुई थी और इस तरह निम्नलिखित निर्देश दियाः-

"रिट-याचिकाकर्ता की मृत्यु के कारण हमारे लिए प्रति-आपत्ति के माध्यम से दिए गए तर्कों के गुण-दोष पर जाना अनावश्यक है। इसके बाद कोई पूछताछ या आगे की पूछताछ का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस संबंध में उल्लेख कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता (इस रिट अपील में प्रतिवादी) के विद्वान वकील ने इस रिट अपील में उत्तरदाताओं के रूप में मृत रिट-याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक याचिका दायर करने की पेशकश की, क्योंकि उनके अनुसार, वे किसी भी स्थिति में इस न्यायालय के आदेशों से मिलने वाले मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। अब जब हम विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत हो गए हैं कि बर्खास्तगी का आदेश असक्षम और अमान्य था, तो हम निर्देश देते हैं कि रिट याचिकाकर्ता को 24 नवंबर तक जांच लंबित रहने तक निलंबित माना जाएगा। 1987 और निलंबन भत्ते की बकाया राशि सहित उस आधार पर वह जिन सभी मौद्रिक लाभों का हकदार है, उसका भुगतान उसके कानूनी प्रतिनिधियों को किया जाएगा। श्री प्रसाद आज से दो सप्ताह के भीतर कानूनी प्रतिनिधि याचिका दायर करेंगे। इस रिट अपील को दो सप्ताह के बाद आदेश के लिए पोस्ट करें।

तदनुसार, रिट अपील अस्वीकार कर, खारिज की जाती है, लेकिन, इन परिस्थितियों में, बिना किसी खर्चे के।"

उपरोक्त आदेश से व्यथित बैंक ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी संख्या 5139/88 दायर की। हनुमंत राव की दिनांक 24.11.87 को मृत्यु हो गई तथा उसके पीछे 14 बच्चे जीवित थे इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने 30 जनवरी, 1990 को यह विचार करना उचित नहीं पाया कि डिवीजन बेंच के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित है। आगे यह स्पष्ट किया गया कि भले ही यह न्यायालय विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक की ओर से उठाए गए सवालों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। बैंक को हनुमंत राव को सेवा में लेने और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को कानून के अनुसार बकाया, वेतन और अन्य टर्मिनल लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इन टिप्पणियों के साथ, एसएलपी खारिज कर दी गई।

इन सभी मामलों में विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या बर्खास्तगी का आदेश मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित किया जा सकता था जो कि इन मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी, कार्यकारी समिति से निचले पद का था।

इस विवाद की सराहना करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित), भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 (बाद में इसे विनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा), भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित)के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ देना उचित होगा।

अधिनियम की धारा 43 स्टेट बैंक को उतनी संख्या में अधिकारियों, सलाहकारों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है जितनी वह अपने कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक या वांछनीय समझती है और उनकी नियुक्तियों और सेवा के नियम और शर्तें निर्धारित करती है।

अधिनियम की धारा 49 केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक के परामर्श से उन सभी मामलों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है जिनमें अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रावधान आवश्यक या उचित हैं।

अधिनियम की धारा 50(1) बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) ने रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ पहला नियम बनाने का अधिकार दिया।

अधिनियम की धारा 50 की उप -धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से

भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 बनाया। इन विनियमों को संशोधित किया गया है केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के तहत नियम बनाकर।

विनियम 55(2)(ए) बैंक में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्तियों और पदोन्नति से संबंधित है। प्रारंभ में अधिकारियों की नियुक्तियाँ केवल कार्यकारी समिति द्वारा की जाती थीं जैसा कि विनियम 55(2)(ए) में दिया गया है। जैसे-जैसे बैंक की शाखाएँ बड़ी होती गईं, बैंक ने नियुक्ति और पदोन्नति की शक्ति बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों को सौंपना उचित समझा और उन्हें नियुक्ति की शक्ति सौंपने की शक्ति भी दे दी। इस प्रकार विनियमन 55(2)(ए) को केंद्रीय बोर्ड के 18 अगस्त, 1971 के एक संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अधिकारी ग्रेड । और ॥ के लिए इस संकल्प के बाद, नियुक्ति प्राधिकारियों को क्रमशः सचिव और कोषाध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, यह इस बात पर निर्भर करता था कि नियुक्ति/पदोन्नति सर्कल या केंद्रीय कार्यालय में सेवा के लिए है या नहीं। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी और सहायक नियम जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं, चाहे वे परिवीक्षाधीन अधिकारी हों या प्रशिक्षु अधिकारी और कर्मचारी अधिकारी, विनियमों में निर्धारित "नियुक्ति प्राधिकरण" की योजना का पालन करते हैं। विनियम 55(2)(ए) को केन्द्र बोर्ड के एक प्रस्ताव दिनांकित 11 जुलाई, 1972 द्वारा फिर से संशोधित किया गया था। इस

संशोधन के द्वारा किसी भी गुणात्मक परिवर्तन के बजाय केवल पहले के विनियमन का शब्दावली पुनर्समूहन किया गया था। स्टेट बैंक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1973 में विभिन्न संशोधन पेश किए गए और उनमें से एक संशोधन मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सचिव और कोषाध्यक्ष के पदनाम में बदलाव से संबंधित था। इसलिए केंद्रीय बोर्ड ने अपने संकल्प दिनांक 29.3.74 के तहत "सचिव एवं कोषाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "मुख्य महाप्रबंधक" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया था। सभी अधिकारियों की सेवा शर्तों को सेवा नियमों के एक ही सेट के तहत लाया गया। भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम जो दिनांक 1.7.75 को लागू हुए। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि विनियमन 55(2)(ए) हमारे उद्देश्य के लिए सभी प्रासंगिक अवधि में निम्नलिखित खंड के तहत बैंक के अधिकारियों या कर्मचारियों को अधिकार को मान्यता देता है "स्टेट बैंक के ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकारी से निचले प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा।" भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण स्टाफ) सेवा नियमों के नियम 3 का खंड (एफ) जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

(च) "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ है-

(i) अधिकारियों ग्रेड II और ग्रेड I और अन्य कर्मचारियों के मामले में, जिन पर अधिकारी ग्रेड II और ग्रेड I पर लागू वेतनमान आम तौर पर

संशोधन के साथ या बिना संशोधन के लागू होते हैं, संबंधित मुख्य महाप्रबंधक या प्रबंध निदेशक के अनुसार कर्मचारी सर्कल में या केंद्रीय कार्यालय में या उसके अधीन सेवारत है;

(ii) विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के मामले में, जिन पर कर्मचारी अधिकारियों पर लागू वेतनमान आम तौर पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के लागू होते हैं, प्रबंध निदेशक;

(iii) वरिष्ठ कर्मचारी नियुक्तियों और उन कर्मचारियों के मामले में, जिन पर वरिष्ठ कर्मचारी नियुक्तियों पर लागू वेतनमान आम तौर पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के लागू होते हैं, कार्यकारी समिति;

हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नियम 50 का उप-नियम (1) भी नीचे दिया गया है:

50(1)(i) अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं, या अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा निर्देशित होने पर, किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।

(ii) अनुशासनात्मक प्राधिकारी या उससे उच्चतर कोई प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर नियम 49 में कोई भी दंड लगा सकता है।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि विनियमन 55 में एक संशोधन को केंद्रीय बोर्ड ने 25 अगस्त 1988 की अपनी बैठक में मंजूरी दे दी थी, जो इस प्रकार है:

55(1) जैसा कि उप-विनियम (2) में प्रावधानित है और जैसा कि केंद्रीय बोर्ड को निर्देशित किया जा सकता है, एक स्थानीय बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के संबंध में स्टेट बैंक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

2(ए) अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों के लिए नियुक्ति और/या पदोन्नति प्राधिकारी ऐसे होंगे जिन्हें कार्यकारी समिति समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नामित कर सकती है।

(बी) बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्तिकर्ता लेखक से नीचे के प्राधिकारी द्वारा बैंक की सेवा से बर्खास्त, बर्खास्त, हटाया या सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा या किसी निचले ग्रेड या पद पर या समयमान में निचले स्तर पर नहीं लाया जाएगा। -इति. स्पष्टीकरण (खंड (बी) के प्रयोजन के लिए 'नियुक्ति प्राधिकारी' शब्द का अर्थ होगा और इसमें वह प्राधिकारी भी शामिल होगा, जिसे अधिकारियों या कर्मचारियों के ऐसे वर्ग या ग्रेड के संबंध में नामित किया गया है, जिससे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो) उस समय का हो सकता है जब ऐसा

आदेश पारित किया गया हो या ऐसे आदेश या समाप्ति के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो।)

(सी) इस उप-विनियम में कुछ भी औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के तहत किसी भी पुरस्कार, निपटान के तहत नियुक्त या अधिसूचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, जो बैंक के श्रमिकों की सेवा शर्तों को नियंत्रित, प्रभावित या विनियमित करेगा। उपरोक्त खंड (बी) के उद्देश्य से, नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा।

(डी) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और अन्य परिलब्धियाँ केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित सेवा के नियमों में निर्धारित की जाएंगी और, जहां ऐसे कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं, कार्यकारी समिति द्वारा तय किए गए अनुसार होंगे। - टी.

(ई) स्टेट बैंक की सेवा छोड़ने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उनके लिए लागू पेंशन फंड के नियमों के तहत प्रदान की गई पेंशन के अलावा पेंशन देने की शक्ति केंद्रीय बोर्ड के पास आरक्षित होगी।

(एफ) मृतक अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की विधवाओं, बच्चों या अन्य आश्रितों को अस्थायी या स्थायी ग्रेच्युटी या अन्य वित्तीय सहायता का अनुदान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा,

सिवाय इसके कि ऐसी किसी ग्रेच्युटी या वित्तीय सहायता का अनुदान सहायता केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य निर्देश द्वारा अधिकृत है। स्पष्टीकरण (इस विनियमन में 'अधिकारी' शब्द में कोई भी कर्मचारी शामिल होगा, जिसके लिए सेवा के नियम आम तौर पर अधिकारियों पर लागू होते हैं, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के लागू होते हैं।) (उप-विनियम (2) 1.10.79 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित)।

बैंक की कार्यकारी समिति ने 30 अगस्त 1988 को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 43 की उप -धारा (1) और भारतीय स्टेट बैंक के विनियम 55 के संशोधित उप-विनियम (2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य विनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है:

बैंक में कॉलम । में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्तियाँ और/या पदोन्नति कॉलम ॥ में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

कॉलम ।	कॉलम ॥
i) अधिकारियों के	शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारी

अलावा अन्य कर्मचारी	v अधीनस्थ कर्मचारी	संबंधित कर्मचारी शाखा प्रबंधक और उप महाप्रबंधक
	ii)लिपिक	संबंधित कर्मचारी क्षेत्रिय प्रबंधक और उप महाप्रबंधक
	c एलएचअे में कार्य कर रहे कर्मचारी	क्षेत्रिय कार्यालय और उनके प्रतिष्ठान संबंधित कार्यालयप्रबंधक/प्रशासन । स्टाफ कॉलेजों या संस्थानों में अधिकारी प्रबंधक उप. अध्यक्ष प्रबंधक या, जहां उपरोक्त विवरण का कोई पद नहीं है, संबंधित विभाग/कार्यालय का प्रमुख ।

ii) अधिकारियों में के लिये मुख्य

कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I व मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II	महाप्रबंधक में नियुक्तियां/पदोन्नति सर्कल और मुख्य जनरल प्रबंधक कार्मिक और मानव संसाधन विभाग में केंद्रीय कार्यालय का कार्यालय स्थापना।
iii)अधिकारियों में मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III	उप प्रबंध निर्देशक
iv) अधिकारियों में वरिष्ठ प्रबंधन स्केल IV व V	प्रबंध निदेशक
v) शीर्ष पर अधिकारी कार्यकारी ग्रेड स्केल VI व VII और विशेष स्तर	सिफारिश प्राधिकारी निदेशक पदोन्नति समिति और विशेष जिसमें अध्यक्ष, वेतनमान प्रबंध निदेशक और धारा 19 के खंड

	(ई), उप-धारा (1) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक और नामित निदेशक शामिल हैं । अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
पदोन्नति/नियुक्ति प्राधिकारी:	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति।

प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में सभी प्राधिकरण और/या दिनांक 1.10.79 के बाद समय-समय पर कार्यकारी समिति द्वारा बनाए गए पदोन्नति प्राधिकरण को संशोधित विनियमन 55 के तहत किया गया

माना जायेगा। 01.10.79 के बाद जे. एम. जी. एस. । के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक और एच. आर. डी.) द्वारा अधिकृत नियुक्तियों की भी पुष्टि की जाती है।

हमारे सामने आने वाले मामलों में बैंक के सभी कर्मचारी कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त किए गये थे। उनके मामलों में बर्खास्तगी का आदेश मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित किया गया था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की तिथि पर मुख्य महाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी थे। बैंक के अनुसार वैसे तो कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा की गयी थी, लेकिन जिस समय जांच हुई और बर्खास्तगी का आदेश पारित हुआ. मुख्य महाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी बन गये थे। दूसरी ओर कर्मचारियों की ओर से तर्क यह है कि कार्यकारी समिति नियुक्ति प्राधिकारी है, कार्यकारी समिति से निचला कोई भी प्राधिकारी उनके मामलों में बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं कर सकता है। उनके तर्क के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, कार्यकारी समिति से निचला प्राधिकारी होने के कारण, बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की उनके पास कोई क्षमता नहीं थी। इस संबंध में कर्मचारियों के विद्वान वकील का उल्लेख किया गया उनके तर्क के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, कार्यकारी समिति से निचला प्राधिकारी होने के कारण, बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की उनके पास कोई क्षमता नहीं थी। इस संबंध में कर्मचारियों के विद्वान वकील द्वारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 का उल्लेख किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(1) के तहत गारंटी खंड जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

> "कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद रखता है, उसे उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है।"

अब जहां तक विनियमन 55(2)(ए) में निहित अधिकार स्टेट बैंक के कर्मचारियों को प्रदान किया गया है, वह यह है कि ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्ति से कम प्राधिकारी द्वारा स्टेट बैंक की सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अधिकार। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 311(1) में निहित प्रावधानों और विनियमन 55(2)(ए) के तहत स्टेट बैंक के कर्मचारियों को दिए गए अधिकार की तुलना से पता चलता है कि इस्तेमाल की गई शब्दावली के बीच एक भौतिक अंतर है।

संविधान के अनुच्छेद 311(1) में प्रयुक्त शब्द हैं "जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था।" विनियम 55(2)(ए) में ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जिनके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था और इसके स्थान पर एकमात्र अधिकार की गारंटी यह है कि कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी से निचले प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार स्टेट बैंक के

अधिकारियों या कर्मचारियों के मामले में सही गारंटी यह है कि बर्खास्तगी का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जा सकेगा। ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक विनियमों और नियमों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुख्य महाप्रबंधक 1.7.74 से विनियम 55(2)(ए) के तहत संबंधित कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी बन गया था। यह स्वीकार्य है कि बर्खास्तगी के आदेश इन संशोधनों के लंबे समय बाद पारित किए गए हैं जब मुख्य महाप्रबंधक पहले से ही विनियमों और नियमों के तहत उनका नियुक्ति प्राधिकारी बन गया था। यह अधिकार कि भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी से कमतर प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, वैधानिक नियमों और विनियमों का निर्माण है। जहाँ तक अधिकार या सुरक्षा की गारंटी है संविधान के अनुच्छेद 311 का संबंध है, यह संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों पर लागू होता है या जो संघ या राज्य के तहत एक सिविल पद रखता है। यह भी स्वीकार्य है कि स्टेट बैंक के कर्मचारी इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 311(1) के तहत कोई सुरक्षा नहीं मांग सकते हैं। स्टेट बैंक के कर्मचारी केवल ऐसे अधिकारों का दावा कर सकते हैं जो सामान्य विनियमों के विनियम 55(2)(ए) के तहत प्रदान किए गए हैं। उक्त प्रावधान के तहत प्रदत्त एकमात्र अधिकार यह है कि स्टेट बैंक के अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकारी से

कमतर प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। पुनरावृत्ति के जोखिम के साथ यह कहा जा सकता है कि जिस तारीख को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है, मुख्य महाप्रबंधक पहले ही नियुक्ति प्राधिकारी बन चुके थे और इस प्रकार बर्खास्तगी का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है,विनियमन 55 को केंद्रीय बोर्ड के 25 अगस्त, 1988 के एक संकल्प द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया है। स्पष्टीकरण में अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि खंड (बी) के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी शब्द का अर्थ उस प्राधिकारी से होगा, जिसे अधिकारियों या कर्मचारियों के ऐसे वर्ग या ग्रेड के संबंध में इस रूप में नामित किया गया है। संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, उस समय से संबंधित है जब ऐसा आदेश पारित किया जाता है या ऐसे आदेश या समाप्ति के लिए कोई कार्यवाही शुरू की जाती है। यह प्रावधान अब किसी भी विवाद को समाप्त करता है और स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य उस प्राधिकारी से होगा जिसके पास है उस समय इस रूप में नामित किया गया है जब ऐसा आदेश पारित किया जाता है। कर्मचारियों के वकील की ओर से यह तर्क दिया गया कि बैंक के पास पूर्वव्यापी प्रभाव से विनियमों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यह तर्क मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। धारा 50(2)(ए)अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इस धारा के तहत बनाए

गए सभी नियम ऐसी पहले या बाद की तारीख से प्रभावी होंगे जैसा कि विनियमन में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार विनियमों को पहले की तारीखों से भी प्रभावी बनाया जा सकता है जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। हमें कर्मचारियों के विद्वान वकील के का यह तर्क मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि संबंध में उनका अधिकार निहित था और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाकर छीना नहीं जा सकता था। ऐसे मामले में कोई निहित अधिकार नहीं हो सकता. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह विनियम 55(2)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकार था और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से भी संशोधित किया जा सकता है, यदि विनियम बनाने में सक्षम प्राधिकारी को पूर्वव्यापी प्रभाव से विनियम बनाने का अधिकार दिया गया हो। जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य, एससीआर 1974 वॉल्यूम-I, 771में यह मत प्रतीपादीत किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में नियुक्ति पर एक 'दर्जा' प्राप्त करता है और इसके परिणामस्वरूप उसके अधिकार और दायित्व वैधानिक या संवैधानिक प्राधिकरण के तहत निर्धारित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके अभ्यास के लिए किसी पारस्परिक सहमति की आवश्यकता नहीं है। बिशुन नारायण मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में , एआईआर 1965 वॉल्यूम। 52 एससी 1567 में यह मत प्रतीपादीत किया है कि सेवानिवृत्ति की आयु को 55 वर्ष से घटाकर 53 वर्ष करने वाले नए नियम को पूर्वव्यापी नहीं किया जा

सकता है। नए नियम और दूसरी अधिसूचना के प्रावधान केवल उन कठिन परिस्थितियों से निपटने के तरीके थे जो नए नियम को तुरंत लागू करने पर सार्वजनिक सेवा में उत्पन्न होती थीं और नए नियम के लागू होने से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय आपत्ति को पूरा करने के लिए भी थीं।

इसलिए, नए नियम को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है। रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ एवं अन्य में., व कुंज बिहारी बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1967 एससी वॉल्यूम 54 1889 में यह मत प्रतीपादीत किया गया है कि सरकारी कर्मचारी की कानूनी स्थिति अनुबंध से अधिक हैसियत की है। स्थिति की पहचान सार्वजनिक कानून द्वारा लगाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के कानूनी संबंध से जुड़ाव है, न कि केवल पार्टियों के समझौते से। सरकारी कर्मचारी का वेतन और उसकी सेवा की शर्तें क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें कर्मचारी की सहमति के बिना सरकार द्वारा एकतरफा बदला जा सकता है। उपरोक्त मामले में आगे यह माना गया कि याचिकाकर्ता के पास अपनी सेवा की शर्तों के संबंध में कोई निहित संविदात्मक अधिकार नहीं था और इसे एकतरफा बदला जा सकता है। जनादेश के अनुसार, उसके पास कर्मचारी की सहमति के बिना सेवा के ऐसे नियमों और शर्तों में एकतरफा संशोधन करने की शक्ति है। हमारे सामने मौजूद मामलों में स्टेट बैंक के कर्मचारियों को जो भी अधिकार दिया गया था वह विनियम 55(2)(ए) के आधार पर था और बैंक के केंद्रीय बोर्ड को

किसी भी तारीख से ऐसे विनियमों में संशोधन करने के लिए धारा इसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर अपीलों में विजय कुमार और टी. दयाकर राव के मामले की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को अपास्त किया जाता है और मामलों को कानून के अनुसार अन्य बिंदुओं पर रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है। अब जहाँ तक श्री ए.के.सुन्दरराजन द्वारा दायर अपील का संबंध है, हमारे द्वारा तय किया गया बिंदु समाप्त हो जाएगा लेकिन अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष अन्य बिंदुओं को उठाने के लिए स्वतंत्र होगा जो अनिर्धारित हैं। इस मामले को अब आगे की सुनवाई और जल्द से जल्द अंतिम निपटारे के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये, पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगें।

1990 का सी. ए. सं. 3392 और 3393 अनुमति दी गई। 1990 का सी. ए. सं. 3394 अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया।

यह अनुवाद और्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती अंकित धायम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।